





Prof. Manish R. Joshi Secretary (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

D.O.No.91-1/2024 (GS)

30 अप्रैल, 2024/10 वैशाख, 1946

Respected Madam/Sir,

As you are aware, the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 was notified on December 9, 2013, to provide a safe and secure environment for women in the workplace.

Sexual harassment results in the violation of the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business, which includes the right to a safe environment free from sexual harassment.

The protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, which was ratified on June 25, 1993, by the Government of India.

The University Grants Commission has also notified the University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015, in the Gazette of India, which are available on the UGC website, i.e., www.ugc.gov.in. These regulations clearly describe the responsibilities of Higher Educational Institutions (HEIs), grievance redressal mechanisms, the process for making complaints and conducting inquiries, interim redressal, punishment and compensation, consequences of non-compliance, etc.

The UGC Regulations, being statutory in nature, are binding for all HEIs. Specifically, sub-regulation (1) of Regulation 4 of these regulations mandates:

"... every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment."

In this regard, the UGC has also repeatedly issued advisories to the HEIs to take the following actions:

- i. To constitute an Internal Complaints Committee (ICC) and a Special/ Women's Cell in the institutions under their administrative control to deal with gender-based violence and conduct gender sensitization programs.
- ii. To display banners and posters at conspicuous places in the buildings to create awareness among employees about sexual harassment and how to prevent it.

- iii. To display the names and contact details of the members of the Internal Complaints Committee on notice boards in the institutions.
- iv. To place a billboard showing the penal consequences of Sexual Harassment. A toll-free number and committed phone numbers should be provided on the billboard.
- v. To display the Women's Helpline Number 181 and Emergency Response Support Number 112 for ease of access to women in distress.
- vi. To upload the following on their respective portals:
- "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal)
 Act, 2013," and University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal
 of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational
 Institutions) Regulations, 2015.
- Details regarding the constitution of the Internal Complaints Committee, along with contact information of its members such as name, phone number, address, etc.

vii. To organize training programmes aimed at raising awareness about sexual harassment for the employees of the institutions.

In view of the above, you are requested to take appropriate action in this regard. It is also requested that the above information may be disseminated to your affiliated colleges as well, and compliance with the same may be ensured.

You are also requested to fill in all details regarding compliance with the above points through online mode on the form available on the SAKSHAM portal i.e. (saksham.ugc.ac.in) and the UAMP portal (uamp.ugc.ac.in) for the year 2023-24 at the earliest.

With regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

The Vice-Chancellors of all Universities.

The Principals of all Colleges.







(Ministry of Education, Govt. of India)

आचार्य मनिष र. जोशी सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

अ.शा.प.सं.91-1/2024 (जीएस)

10 वैशाख 1946/30 April, 2024

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप विदित है, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर, 2013 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है।

लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है।

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 को भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया है, जो यूजीसी की वेबसाइट अर्थात, www.ugc.gov.in पर उपलब्ध है। ये विनियम उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) की जिम्मेदारियों, शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत करने और जांच करने की प्रक्रिया, अंतरिम निवारण, दंड एवं क्षतिपूर्ति, अनुपालन के परिणामों आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, सांविधिक प्रकृति के होने के कारण, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। विशेष रूप से, इन विनियमों के विनियम 4 का उप-विनियम (1) अधिदेशित करता है:

".....प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी जेंडर सेंसिटाइजेसन के लिए एक आंतरिक तंत्र सहित एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे।"

इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए बार-बार परामर्शिकाएं जारी की है:

- ं. लिंग आधारित हिंसा से निपटने और जेंडर सेंसिटाइजेसनकार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) और एक विशेष/महिला प्रकोष्ठ का गठन करना।
- ii. कर्मचारियों में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे कैसे रोका जाए के लिए भवनों में विशिष्ट स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना।
- iii. संस्थानों में सूचना पट्ट पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित करना।
- iv. लैंगिक उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाला एक बिलबोर्ड रखना। बिलबोर्ड पर एक टोल-फ्री नंबर और प्रतिबद्ध दूरभाष संख्या प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- v. संकट में महिलाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता नंबर 112 प्रदर्शित करना।
- vi. अपने संबंधित पोर्टल पर निम्नलिखित अपलोड करना:
 - "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015"
 - आंतरिक शिकायत समिति के गठन के विवरण के साथ इसके सदस्यों की संपर्क सूचना जैसे नाम, दूरभाष संख्या, पता आदि ।

vii. संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी को अपने संबद्ध महाविद्यालयों को भी प्रसारित करें, और पूर्वीक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में वर्ष **2023-24** के लिए सभी विवरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से सक्षम पोर्टल अर्थात saksham.ugc.ac.in और UAMP पोर्टल अर्थात uamp.ugc.ac.in पर उपलब्ध प्रारूप में यथाशीघ्र भरें।

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति। सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।